कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/1532. दिनांकः– 26/9/2023 (26/09/2023)

–ःकार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा बैठक दिनांक 21.09.2023 को उपायुक्त (जोन–4) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 697, 198, 700 के ले–आउट प्लान में आरक्षित ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी.एच भूखण्डों के संबंध में।

समिति को निम्न तथ्य अवगत करवाये गयेः–

- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा सख्या 697, 198, 700 का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक से दिनांक 23.08.2008 को अनुमोदित है।
- आवेदित भूमि का धारा 90/ब के तहत आदेश दिनांक 26.08.2008 को जारी किया गया था।
- कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान में सामान्य आवासीय, ई.डब्लू.एस/एल. आई.जी.एच. भूखण्डों के साथ पार्क आदि हेतु स्थल आरक्षित किये गये है।
- राज्य सरकार के आदेश दिनांक एफ.3(77) नविवि/3/2010 पार्ट 1 जयपुर दिनांक 3.07.2012 के विन्दु संख्या 03 अनुसार ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी.एच. हेतु आवश्यक भूमि उन्ही योजनाओं में आरक्षित की जायेगी जिनमे 90/बी के तहत नोटिस अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 लागु होने की दिनांक के बाद जारी किये गये हो अर्थात दिनांक 23.12.2009 से पूर्व जिन योजनाओं की 90/बी की जा चुकी है उन पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के पावधान अनुसार ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी.एच हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक नही है।
- उक्त प्रकरण में 90/ब के आदेश दिनांक 26.08.2008 को हो चुके थे जो कि राज्य सरकार के आदेश में उल्लेखित कटऑफ दिनांक 23.12.2009 से पूर्व के है।
- प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी.एच के स्थान पर सामान्य आवासीय भूखण्ड सृजित कर पट्टा चाहा गया है।
- पूर्व अनुमोदित योजना ले–आउट प्लान में दर्शित विकय योग्य क्षेत्रफल (ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी.एच. सहित) में बढोतरी नही की जाकर पूर्व में आरक्षित ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी.एच ब्लॉक के मध्य नवीन सडक प्रस्तावित कर सामान्य भूखण्ड प्रस्तावित किये गये है। साथ ही दो अन्य स्थानों पर प्रस्तावित ई.डब्लू. एस/एल.आई.जी.एच भूखण्डों को सामान्य भूखण्ड प्रस्तावित किये गये है। योजना के उत्तर दिशा में दर्शित इन्फोर्मल को यथावत रखा जा कर योजना के सहारे 10' पाथ प्रस्तावित करते हुए तथा दक्षिण पूर्व दिशा में दर्शित प्रस्तावित ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी.एच. ब्लॉक में नवीन सड़क प्रस्तावित करते हुए मानचित्र प्रस्तुत किया हैं। पूर्व अनुमोदित योजना में दर्शित विकय योग्य क्षैत्रफल में वृद्धि नहीं की गयी हैं अपितु विकय योग्य क्षैत्रफल कम किया गया हैं।

निर्णय :– **समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यो पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श राज्य सरकार के आदेश दिनांक दिनांक 3.07.2012 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक से दिनांक 23.08.2008 को अनुमोदित ले–आउट प्लान में दर्शित ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी.एच. भूखण्डो के स्थान पर संशोधित ले–आउट प्लान अनुसार सामान्य भूखण्डो की नियमानुसार लीज डीड जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।**

तहसीलदार (जोन–4)	अधिशाषी अभियन्ता (जोन–4)	सहायक नगर नियोजक	उपायुक्त (जोन–4)
जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/ 1533-38 दिनांकः– 26/09/23

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(26/09/23)

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन–4, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता जोन–4, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन–4, जो.वि.प्रा, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर